



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125367-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट कर सं. - 2921 वर्ष 2026

शिव शंकर सिंह यादव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

यूपी राज्य और 2 अन्य की स्थिति

..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार पांडेय, प्रदीप कुमार साहू

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 39

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार पांडे और राज्य-प्रतिपक्षियों के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अरिमर्दन सिंह राजपूत को सुना।

2. निम्नलिखित राहत के लिए प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है:

"क) प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित दिनांक 26.05.2026 के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित दिनांक 27.05.2026 के आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।



ख) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिपक्षी प्राधिकरण को लाइसेंसधारी शराब की दुकान की मुहर खोलने का निर्देश दिया जाए जो याचिकाकर्ता को आवंटित की गई है।

3. निस्संदेह याचिकाकर्ता का खुदरा उत्पाद शुल्क लाइसेंस दिनांक 26.05.2026 के आदेश-सह-नोटिस के माध्यम से निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने 27.05.2026 को अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही लंबित रहने के कारण, याचिकाकर्ता के खुदरा विक्रेता को सील कर दिया गया है।

4. उपरोक्त कार्यवाही का एकमात्र कारण यह है कि याचिकाकर्ता का खुदरा उत्पाद शुल्क विक्रेता राज्य राजमार्ग से 220 मीटर की निषिद्ध सीमा के भीतर है।

5. ऐसे तथ्यों में, आबकारी प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने के लंबित होने के दौरान रिट याचिका की विचारणीयता के बारे में अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के खिलाफ, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने खुदरा उत्पाद शुल्क विक्रेता को राज्य राजमार्ग से 220 मीटर की निषिद्ध सीमा वर्ष से आगे स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। हालांकि, वह प्रार्थना करता है कि शराब का स्टॉक सीलबंद पड़ा है और जब तक कार्यवाही समयबद्ध तरीके से समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक उसे राजस्व का नुकसान होना तय है क्योंकि याचिकाकर्ता को एम.जी.क्यू. आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लिए बिना, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण एक निर्देश के साथ किया जाता है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3, वैकल्पिक दुकान को आज से दस दिनों के भीतर सूचित करे (जिसे वह प्राप्त कर सकता है), उक्त प्रतिपक्षी ऐसी वैकल्पिक दुकान/साइट की उपयुक्तता के रूप में सभी सत्यापन को पूरा करना सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त प्रतिपक्षियों को आवश्यक संचार की तारीख से एक सप्ताह की अवधि।



7. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल पर प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 द्वारा अनुमोदन के अधीन, उसे अनुमति प्रदान करने की तारीख से तीन दिनों की अवधि के भीतर वैकल्पिक दुकान से अपने व्यवसाय संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।

8. याचिकाकर्ता की वैकल्पिक दुकान की अनुमति के अधीन, याचिकाकर्ता के उत्पाद शुल्क विक्रेता की कोई नई नीलामी नहीं की जा सकती है।

9. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)

(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

4 जून 2026

अभिलाष